न्यायालय

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आर.टी.एस.)

दिनांक 25.9.17

मि0न026/17

निर्णय

सरकार बनाम बाबूलाल

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का चिमनपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि संवत 2074 में वाके ग्राम कायमपुरा बास के खसरा नंबर 303/32.86किस्म जमीन गै0मु0पहाड में से 0.50 पर बाबूलाल पुत्र चेतराम जाति खटीक निवासी बनेठी ने फसल ग्वार कास्त कर अतिक्रमण कर लिया है

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल सामिल पत्रावली किये गये। सूचना परान्त गैर सायल उपस्थित आया । गैरसायल ने उक्त आराजीयात पर मैाखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया लेकिन कोई जवाब ,साक्ष्य पेश नहीं किया । अतः पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों , पटवारी रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि ग्राम कायमपुरा बास के खसरा नंबर 303/32.86 किस्म जमीन गै0मु0पहाड पर गैरसायल बाबूलाल पुत्र चेतराम जाति खटीक निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली द्वारा फसल ग्वार कास्त अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है।जिसके विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित समझते हैं।

अतः गैर बाबूलाल पुत्र चेतराम जाति खटीक निवासी बनेठी को वाके ग्राम कायमपुरा बास के खसरा नंबर 303 किस्म जमीन गै0मु0 पहाड पर अतिक्रमि घौषित करते हुए उक्त आराजीयात पर फसल कास्त ग्वार को कब्जेराज लेकर सरे आम निलाम किया जाकर भोतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2रू का पचास गुणा 100रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार फसल निलामी,बेदखली, पैलन्टी वसूली हेतु भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे ।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.9.17 को सर्रे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2017 ... 018 ...... के रा० ले०
पृष्ठ संख्या 41 .... पर ... 100रू
इन्द्राज कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली